सफ़र की दूरी की शुरूआत

सत्रहवां फ़िक्ही सेमिनार (बुरहानपुर) दिनांक 28-30 रबीउल अव्वल 1429 हिजरी, 5 - 7 अप्रैल 2008 ई॰ को आयोजित हुआ।

1- जो व्यक्ति अपने घर से अपने शहर के अन्दर ही किसी स्थान पर जाने के लिए निकले तो चाहे वह कितनी ही दूरी तय करे, यदि उसका इरादा शहर ही में रहने का है तो वह शरई तौर पर मुसाफ़िर नहीं माना जाएगा और उसके लिए सफ़र की वह छूट नही होगी जो शरई दूरी के सफ़र से सम्बन्धित हैं।

2- जो व्यक्ति अपनी आबादी व शहर से बाहर सफ़र के इरादे से निकले वही शरई तौर पर नमाज़ में क़स्र और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा तोडनें की इजाज़त के मसले में मुसाफ़िर होगा।

3- छोटे शहरों में शरई दूरी का हिसाब उस जगह से होगा, जहां शहर समाप्त हुआ है अर्थात शहर समाप्त होने के बाद 48 मील का सफ़र किया जाए उसी समय वह मुसाफ़िर होगा।

4- बड़े शहरों में जिनकी आबादी मीलों तक फ़ैली हुई हो तो शरई दूरी की गणना किस जगह से होगी? इसमें दो राय हैं.ज्यादातर लोगों की राय है कि जहां शहर समाप्त होता है, वहीं से 48 मील की दूरी माननी होगी अलबत्ता इस बात पर सभी सहमत है कि नमाज़ में क़स्र का हुक्म शहर से बाहर निकलने के बाद आरंभ होगा और इस तरह वापस होते समय शहर में दाख़िल होने से पहले तक ही क़स्र करना सही होगा।

☆☆☆